(i) अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों के विवरण।

इस निगम की स्थापना मार्च 1975 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गयी थी। निगम के मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास करने का है। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी रू. 300.00 करोड़ तथा चुकता अंश पूँजी रू. 202.12 करोड़ है। अंशपूँजी में 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार तथा 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का है।

संचालित योजनाएं निम्नवत् हैः–

(1) स्वतःरोजगार योजना

स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत बैकेबुल योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1980–81 से किया जा रहा है। इस योजना में रू0 7.00 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियेाजनाएं वित्तपोषित की जाती है, जिनमें उद्योग, सेवा, व्यवसाय, पशुपालन, ट्रांसपोर्ट तथा सभी आर्थिक विकास की योजनाएं आच्छादित हैं। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता निम्न प्रकार हैः–

- अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।
- वह गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो अर्थात शहरी क्षेत्र में उसकी वार्षिक आय रू0 25546/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/– वार्षिक होनी चाहिए।
- इस योजना में अधिकतम रू0 10000/–अनुदान तथा योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से ऋण के रूप में दी जाती है।

  प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 111976 व्यक्तियों को रू0 11197.60 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह जुलाई 2010 तक 15372 व्यक्तियों को रू0 1537.20 लाख वितरित कर लाभान्वित कराया गया।

(2) नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनाः–

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना का संचालन वर्ष 1985–86 से नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दुकान निर्माण योजना संचालित की जा रही हैं दुकान निर्माण की लागत रू. 78000.00 से 85,000.00 के मध्य है। यह धनराशि 10 वर्षो में बिना व्याज के वसूल की जाती है, जिसमें रू. 10,000/– अनुदान तथा शेष धनराशि व्याज मुक्त ऋण के रूप में होती है।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में गत वर्ष सहित 1827 दुकानों का निर्माण कराते हुये रू0 658.12 लाख तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह जुलाई 2010 तक गत वर्ष के अवशेष सहित कुल 386 दुकानों का निर्माण कराते हुये रू0 93.18 लाख व्यय किया गया।

(3)प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन निगम द्वारा वर्ष 1983–84 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों को टंकण–आशुलेखन, हथकरधा, बढ़ईगीरी, कम्प्यूटर, सिलाई–कढ़ाई, मालीगीरी, ट्रैक्टर मरम्मत, रेफ्रीजरेशन/एयर कन्डीशनर, फूड प्रोसेसिंग, मोटर ड्राइविंग, टी. बी. रेडियो मरम्मत, कुकबेटर, आटोमोबाइल, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/युवतियॉ प्रशिक्षण में दक्ष होकर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 5346 प्रशिक्षार्थियों को रू0 748.67 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह जुलाई 2010 तक कुल 2278 प्रशिक्षार्थियों को रू0 152.11 लाख व्यय करते हुये प्रशिक्षित किया गया।

(4) मैनुअल स्केवेन्जरों के पुनर्वासन की केन्द्रीय स्वरोजगार योजना

स्वरोजगार की इस योजनान्तर्गत रू0 25000/– से रू0 5.00 लाख तक की परियोजनायें बैंको के माध्यम से वित्त पोषित करायी जाती हैं, जिसमें निर्धारित अवधि तक का अधिकतम 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अनुदान सीमा रू0 12500/– से रू0 20000/– तक निर्धारित है। योजना की समय सीमा 31 मार्च, 2010 तक निर्धारित थी।

31 मार्च, 2010 तक 3161 व्यक्तियों को बैंको के सहयोग से लाभान्वित कराया गया तथा 3742 व्यक्तियों को विभिन्न रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षित कराया गया।

(5) धोबी समाज के लिये लान्ड्री योजना

धोबी समाज के व्यक्तियों व्यक्तियों के लिए लान्ड्री/ड्राई क्लीनर्स की योजना वित्तीय वर्ष 2004–05 से संचालित की जा रही है। इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः–

- ❖ धोबी समाज के व्यक्तियों को लान्ड्री/ड्राई क्लीनर्स योजना के संबंध में लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है।
- ❖ परियोजना की कुल लागत रू. 2.16 लाख, जिसमें रू. 10,000.00 अनुदान तथा शेष धनराशि व्याज मुक्त ऋण के रूप में है, जिसकी अदायगी 5 वर्षो में समान किस्तों में की जाती है।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 271 मामलों में रू0 585.36 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह जुलाई, 2010 तक स्वीकृत 22 मामलों में रू0 47.52 लाख व्यय कर परियोजनायें स्थापित करायी गयीं।